(108)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल, ग्वालियर सर्किट कोर्ट-रीवा जिला-रीवा (म0प्र0)

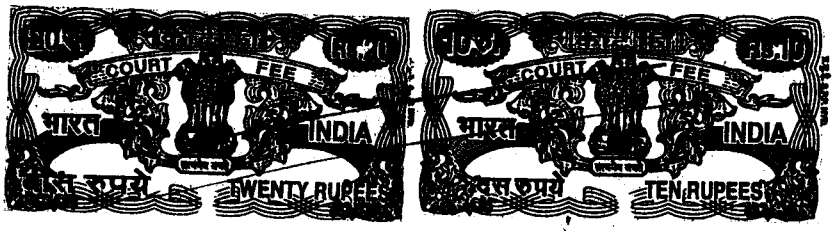

Rs 30/-

रिव्यू 536/-II/16

1- मो0 शमशीर तनय दीन मोहम्मद, उम्र 45 वर्ष, पेशा-कृषि,

2- मो0 रसीद तनय दीन मोहम्मद, उम्र 40 वर्ष, पेशा-कृषि,

-----दोनों निवासी ग्राम बसेड़ा, तहसील मनगँवा, जिला-रीवा (म0प्र0)

-------आवेदकगण.

बनाम

बेवा हसीना बानों पत्नी स्व0 मो0 असगर, उम्र 62 वर्ष, निवासी ग्राम बसेड़ा, तहसील मनगँवा, जिला-रीवा (म0प्र0)

----- अनावेदिका.

अधिवक्ता श्री उदयराज सिंह द्वारा प्रस्तुत 8-8-16

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

पुनर्विलोकन विरुद्ध आदेश दिनांक 29/3/2016 जो प्रकरण क्रमांक आर 3893/3/14 बेवा हसीना बानों विरुद्ध मो0 शमशीर वगैरह में पारित किया गया है।

पुनर्विलोकन अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 ई0

मान्यवर,

पुनर्विलोकन आवेदन-पत्र के आधार निम्नहै :-

(1) यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण क्र. आर 3893/3/14 दिनांक 29/3/2016 को आदेश पारित करते हुए राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये विधि सम्मत सीमांकन जिसकी पुष्टि तहसीलदार मनगँवा, जिला रीवा द्वारा की गई थी को निरस्त करते हुए प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है। जो विधि सम्मत नही है तथा उक्त आदेश पर पुन: विचार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक, पुनर्विलोकन 5361–दो/2016 जिल– रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–5–2017	आवेदक द्वारा यह पुनर्विलोकन आवेदन म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के तहत निगरानी प्रकरण कमांक 3893–तीन/2014 में पारित आदेश 29–3–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। आवेदक को पुनर्विलोकन के ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं इस न्यायालय के मूल प्रकरण का अवलोकन किया गया। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता, 1908 की धारा 114 आदेश 47 नियम (1) में पुनर्विलोकन के लिए निम्नलिखित तीन आधारों का उल्लेख है :– 1. किसी नई या महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना, जो सम्यक तत्परता के पश्चात् भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नही थी, अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी; या 2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती या 3. कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदक द्वारा तर्क के दौरान ऐसी कोई नई बात अथवा तथ्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जो मूल निगरानी में आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं किये गये हों, न ही अभिलेख में परिलक्षित कोई त्रुटि ही बतलाई गई है। आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा इस न्यायालय में जिन तथ्यों को इंगित किया है उनका निराकरण निगरानी प्रकरण कमांक 3893–तीन/2014 के मूल आदेश दिनांक 29–3–2016 में आदेश पारित किया जाकर चुका है। 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	